



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं: 1687 -मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/2011-15एन०जी०/2001

दिनांक : 29 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 244-मा०सं०प्र०-(02)/उ०निलि०/2011-15एन०जी०/2001, दिनांक 08.02.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं: सा-3-649/दस-2011-301/2000टी०सी०, दिनांक 11.07.2011 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2011 से बढ़ी हुई महंगाई राहत की 06(छ:) प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.01.11 से 06(छ:) प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 45(पैंतालिस) प्रतिशत की दर बढ़कर 51(इक्यावन) प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं: 1054-डब्लू०सी०/राविप-औ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्यलेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5. मंहगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः 2/-

सं: 1687 -(1)-मा०सं०प्र०-02 / उनिलि / 2011, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर) ।
- (5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) मुख्य अभियन्ता, (पी०पी०एम०एम०) / (तापीय परिचालन) / (मा०सं०) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (10) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (11) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (12) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन) / लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा) / (पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (14) कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (15) अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर आपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ ।
- (16) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(वी०पी० कान्दियार) ३१ मे २०११
अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-02)